न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 200/2020
जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00302

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतूसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली		1. ओमसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर, तहसील सोजत जिला पाली, राज.। 2. ग्राम पंचायत चण्डावल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राज.। 3. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/11/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 07/1976–77 दिनांक 28.11.1976 की पालना में जारी पट्टा संख्या 151 दिनांक 30.11.1976 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की दादी श्रीमती मांगीदेवी का कब्जासुदा पैतृक रहवासी मकान जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में ओमसिंह पुत्र मदनसिंह का मकान, उत्तर दिशा में मदनसिंह का मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता व मकान है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के परदादा देवीसिंह के पक्ष वर्ष 1954–55 में पट्टा जारी हो चुका है। देवीसिंह के तीन पुत्र मेघसिंह, मदनसिंह व रतनसिंह थे तथा जैर आराजी का तीनों के मध्य बराबर हिस्से में बंटवारा कर दिया। मेघसिंह के कोई संतान नहीं होने से उन्होनें अपनी पत्नी मांगीदेवी की सहमति से प्रार्थी के पिता विजयसिंह को गोद लिया, जो जैर आराजी के मकान में निवासरत थे। प्रार्थी जितेन्द्रसिंह के जन्म के बाद, प्रार्थी के माता–पिता का देहान्त हो जाने पर मांगीदेवी ने प्रार्थी को अपने वंश का वारिस घोषित कर दिया, जिस बाबात् नोदनामा दिनांक 09.04.2004 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया तथा प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयत भी लिखवाई गई जिसमें लिखा कि मांगीदेवी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतु के बालिग होने तक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गीतादेवी पत्नी रतनसिंह के देखरेख मे रहेगा तथा बालिग होने पर उक्त मकान का मालिक प्रार्थी होगा। प्रार्थी की दादी मांगीदेवी की वृद्वावस्था का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पिता मदनसिंह ने उक्त मकान को हडपने की नियत से ग्राम पंचायत चण्डावल के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मांगीदेवी के अनपढ़ एवं निरक्षर होने का नाजायज फायदा उठाते हुये झुठे बयान लिखवाये एवं पूर्व में जारी पट्टेसुदा आराजी का पुनः जैर निगरानी पट्टा बनवाया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी जैर निगरानी पट्टे की आड़ में प्रार्थी को अपने कब्जा सुदा मकान से बेदखल करने को आमदा है। ग्राम पंचायत ने बिना मौका मुआयना किये, बिना कोई प्रस्ताव लिये, बिना नोटिस जारी किये ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है। अतः जैर निगरानी पट्टे का खारिज फरमावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 07/1976–77 दिनांक 28.11.1976 की पालना में जारी पट्टा संख्या 151 दिनांक 30.11.1976 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किये गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 269 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके संलग्न नियम 256(2) के तहत नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए 2/– रूपये की राशि जमा करवायी जानी थी, जो नहीं करवायी। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 03.10.1976, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु नियम 258 के तहत किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया, जो नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु जैर प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी केवल दो पंचों के ही हस्ताक्षर है एवं मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसमें अंकित पड़ौस, मिसल के संलग्न नक्शे एवं जैर निगरानी पट्टे में दर्शित चतुर्दशी से भिन्न है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जिसका क्षेत्रफल 39,311 वर्गगज है, जो भी प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध प्रतीत होता है। प्रकरण में गवाह के बयान आवेदनकर्त्ता का समर्थन करते है परन्तु पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 269 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। सरपंच द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत चण्डावल नगर से प्राप्त रेकर्ड के संलग्न अप्रार्थी के पिता द्वारा पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उनमें यह स्पष्टतः अंकित है कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में पट्टा बना हुआ था, जो गुम हो चुका है। यह तथ्य स्वयं अप्रार्थी के पिता (आवेदनकर्ता) की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" जिससे सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 07/1976–77 दिनांक 28.11.1976 की पालना में जारी पट्टा संख्या 151 दिनांक 30.11.1976 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को दस्तावेजी/साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली